जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.07.2024

एसओजी शामली एवं थाना झिंझाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला सुन्दर नगर में हुई डकैती की घटना का सफल अनावरण कर घटना में शामिल बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपये के ईनामी 02 शातिर बदमाश/लुटेरे घायल/गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गई नकदी, पाजेब व अवैध असलाह एवं कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 09/10.07.2024 की रात्रि को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री बलविन्द्र उर्फ बिल्लू पुत्र चंदासिंह निवासी ग्राम सुन्दरनगर चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के घर में घुसकर 05 अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी व परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट कर घर में रखे 2 लाख 55 हजार रुपये, 02 सोने की अंगूठी, 02 सोने के कानों के कुण्डल, 01 सोने की असली, 02 चांदी की पाजेब, 01 कीपैड़ मोबाइल फोन व अन्य सामान को लूट कर ले जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत थाना झिंझाना पुलिस, एसओजी/सर्विलांस टीम सहित 07 टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल के आस-पास जानकारी करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये तथा साक्ष्यों के आधार पर लगातार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

जिसके क्रम में आज दिनांक 19.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट/डकैती की घटनाओं के अनावरण एवं ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी शामली एवं थाना झिंझाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला सुन्दर नगर में हुई डकैती की घटना का सफल अनावरण कर घटना में शामिल 25-25 हजार रुपये के ईनामी 02 शातिर बदमाश/लुटेरों को ग्राम गढीहसनपुर के जंगल में कच्चीगढी को जाने वाले रास्ते पर हुई पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 02 अभियुक्त घायल हुए। अभियुक्तों के द्वारा की गई फायरिंग में मुख्य आरक्षी आशीष कुमार भी घायल हुए है। घायलों को उपचार हेतु सीएचसी ऊन में भर्ती कराया गया। उपरोक्त घायल बदमाश/लुटेरों के कब्जे से लूटी गई नकदी (01 लाख 01 हजार रुपये), 02 जोड़ी पाजेब एवं अवैध 02 तमंचा मय 03 खोखा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल बदमाश/लुटेरों के 03 साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना कारित करने का क्रम व उद्देश्य - घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्त सिमरनजीत द्वारा बताया गया है कि बलविन्द्र उर्फ बिल्लू पुत्र चन्दा सिंह निवासी ग्राम सुन्दरनगर मजरा चौसाना थाना झिंझाना का निवासी है उसी के मकान /प्लाट के पीछे सोनू उर्फ शमशेरा निवासी सुन्दरनगर चौसाना थाना झिंझाना शामली हाल निवासी करनाल हरियाणा रहता था कुछ समय पहले सोनू उर्फ समशेरा का बलविन्द्र उर्फ बिल्लू के साथ प्लाट को लेकर विवाद हो गया था सोनू उर्फ शमशेरा ने बलविन्द्र उर्फ बिल्लू के इलाज करने की ठान ली थी और दिनांक 9.07.24 की शाम को कस्बा झिंझाना मे चल रहे उर्स मेला मे सोनू उर्फ शमशेरा ने मुझे व अनस पुत्र याकूब निवासी ग्राम अकबरपुर सुनहटी थाना कैराना जिला शामली व जावेद उर्फ बिल्डर पुत्र शेरदीन उर्फ सानू निवासी नीला रोजा कस्बा व थाना झिंझाना शामली ,मलिक उर्फ टोपीवाला निवासी कस्बा व थाना झिंझाना शामली को मेला देखने के बहाने इकठठा किया था। सभी योजना के तहत मेले से दो बाईको पर निकलकर जिसमे एक बाईक अनस और एक बाईक मलिक उर्फ टोपीवाला की थी से गाडीवाला चौराहा से करनाल रोड, केरटू सूबरी, अब्दालनगर खोडसमा से यमुना बंदा की तरफ निकलकर बलविन्द्र उर्फ बिल्लू के घर के पीछे पहुंचे और साईड मे पडी टेन्ट

लगाने वाली सीडी को दीवार के पीछे लगाकर उसके सहारे से पहले सोनू उर्फ शमशेरा फिर मै ,जावेद और अनस चारो लोग छत पर चढ कर मकान मे नीचे आकर मकान का ताला तोडा और मेन गेट से मलिक उर्फ टोपीवाला गेट से अन्दर आया और हम पाँचो ने परिजनो को तमंचो से आतंकित कर सभी घरवालो के साथ मारपीट की। और घर मे से कैश और सोना चांदी के जेवर लेकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गये थे । हमने बलविन्द्र उर्फ बिल्लू के घर से एक मोबाईल फोन व पर्स तथा अन्य कागजात लेकर हम लोग दोनो मोटर साइकिल से वापस उसी रास्ते से आते हुये गांव सीगरा के पीछे गांव दभेडी जाने वाले रास्ते की तरफ पडे घने जंगल में हमने उन्हे जला दिया था। हमारे द्वारा जो घटना कारित की है उसके बारे मे पुलिस हमे तलाश कर रही है इसलिये आज हम पाँचो लोग कही बाहर लम्बे निकलने के फिराक में थे। जैसे ही हम चौसाना की तरफ को आ रहे थे तो पुलिस की गाडी वहाँ पर खडी थी हमे पूरा शक हो गया था कि आज हम बक्शे नही जायेगे और हमने बिना सोचे समझे ही आप लोगो के ऊपर फायर कर दिये ताकि आप लोगो को भयभीत करके हम लोग निकल जाये तो हमारी मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी और पुलिस की गोली से मै और अनस दोनो घायल हो गये और बाकि तीनो मौके से फरार हो गये थे। हम दोनों के कब्जे से लूटी गयी नगदी व जेवर भी बरामद हुए है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.सिमरनजीत पुत्र रणजीत सिंह निवासी ग्राम बीबीपुर हटिया डेरा संगतपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

2.अनस पुत्र याकूब निवासी ग्राम अकबरपुर सुनहटी थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.डकैती कर लूटी गई नकदी 01 लाख 01 हजार रुपये।

2.डकैती कर लूटी गई 02 जोडी पाजेब।

3.अवैध 02 तमंचा 315 बोर मय 03 खोखा कारतूस 315 बोर।

4.घटना में प्रयुक्त स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी-19डी-0577।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 19.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 16.07.2024 को थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.प्रणव उर्फ किट्टू पुत्र स्व0 विकास मूल निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली हाल निवासी मौहल्ला विवेक विहार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 19.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.अर्जुन पुत्र किरन उर्फ किरणपाल निवासी ग्राम देवीपुरा थाना थानाभवन जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 1993 में अभियुक्त शकील पुत्र रशीद पठान निवासी हेवा थाना छपरौली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 158/93 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379/411 भादवि में जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1. शकील पुत्र रशीद पठान निवासी हेवा थाना छपरौली जनपद शामली।

'आपरेशन क्लीन' अभियान के अन्तर्गत थाना कैराना पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.07.2024 को आबकारी अधिनियम के 103 मालो का नष्टीकरण हेतु थाना प्रांगण के मालखाने में रखी माल मुकदमाती कच्ची, देशी व अंग्रेजी शराब की 349 पेटी, 34 बोतल बीयर व 691 लीटर कच्ची शराब को नष्ट कराये जाने के संबंध मेः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी शामली व पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन में जनपद शामली के थाना कैराना पर मुकदमों से सम्बन्धित मालखाने में रखी माल मुकदमाती शराब को नष्ट कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के द्वारा दिनांक 22.05.2024 आदेश किया गया था। जिसमें एक संयुक्त टीम गठित की गयी, जिसमें उपजिला मजिस्ट्रेट तहसील कैराना, क्षेत्राधिकारी सर्किल शामली(नगर) ,संयुक्त निर्देशक अभियोजन, आबकारी निरीक्षक व प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना भी मौजूद रहे। गठित टीम की मौजूदगी में आज दिनांक 19.07.2024 को थाना कैराना के मालखाने में रखी मुकदमों से सम्बन्धित कच्ची शराब, देशी शराब व अंग्रेजी शराब की सूची के मुताबिक कुल 103 अभियोगों के मालों को जे.सी.बी. से थाना कैराना परिसर में खाली स्थान पर गढ्ढा खुदवाकर नष्टीकरण की कार्यवाही की गयी। नष्टीकरण की कार्यवाही के दौरान 235 पेटी देशी शराब (बोतल , पव्वे) एवं 114 पेटी अंग्रेजी शराब (बोतल अद्धे ,पव्वे) एवं 34 बोतल बीयर व 691 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण आदि नष्ट किये गये तथा नष्टिकरण की कार्यवाही करते समय उपरोक्त नष्ट हुए मालो की फोटोग्राफी व वीडियो ग्राफी की गयी।